रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2254] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938
No. 2254] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2956(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.05.2016 की का.आ. 1629(ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में एक आपत्ति / सुझाव प्राप्त हुआ था और

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्र	दि.मु.यो-2021 के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
जोन 'ए' (चार दीवारी शहर) में गांधी मैदान	1.852 हैक्टेयर	'मनोरंजनात्मक' (समीपवर्ती पार्क/ खुला स्थान)	'परिवहन' (बहुस्तरीय पार्किंग)	उत्तर: हरदयाल सिंह पुस्तकालय और चांदनी चौक पुलिस स्टेशन; दक्षिणः सड़क; पूर्वः एच.सी. सेन सड़क; पश्चिम: मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक

शर्तें:

i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस स्थल पर बहु स्तरीय पार्किंग और सम्बद्ध भवनों की योजना (डिजाइन) बनाए जिसमें हरित भवनों के सभी घटक (जैसे सौर ऊर्जा पैनलों का उपयोग, जल का पुनर्चक्रण, शून्य अपशिष्ट उत्सर्जन इत्यादि) हों । इसके अतिरिक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम उर्ध्वाधर उद्यान भी विकसित करें, जिसमें इन भवनों की आंतरिक एवं बाह्य दीवारें पौधों और लताओं से आच्छादित हों । उत्तरी दिल्ली नगर निगम ऐसे अन्य तरीके भी अपनाए जिससे कि ऐसे स्ट्रक्चर द्वारा प्रस्तावित निर्मित वातावरण में अंदर/ बाहर गमलों में पौधे, फूलों वाले पौधे लगाकर और पिलर्स पर लताएं चढ़ाकर और लटके हुए गमलों में पौधे लगाकर हरियाली को शामिल किया जा सके ।

ii) ऐसे भवनों की डिजाइन में बहुस्तरीय पार्किंग की रंग योजना भी शामिल है, जो उस क्षेत्र के, विरासत संबंधी महत्व को ध्यान में रखते हुए वातावरण के अनुरूप हो ।

iii) बहुस्तरीय पार्किंग को मौजूदा / निर्धारित पार्किंग स्थलों के उपलब्ध मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा ।

[फा. सं. के-13011/17/2016-डीडी-।]

भूपेन्द्र बहुगुणा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2956(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan-2021 for Delhi regarding the area mentioned here under were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1629(E) dated 04.05.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions are required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

2. Whereas one objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ZDP	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Gandhi Maidan in Zone 'A' (Walled City)	1.852 Ha.	'Recreational' (Neighbourhood Park/Open Space)	'Transportation' (Multi Level Parking)	North: Hardayal Singh Library & Chandni Chowk Police Station; South: Road; East: H.C. Sen Road; West: Metro Station Chandni Chowk

Conditions:

i. North Delhi Municipal Corporation (NrDMC) should design the Multi level parking and allied buildings on this site with all components of green buildings (such as use of solar panels, re-cycling of water, zero-waste discharge etc.). In addition to this, NrDMC should also develop vertical gardens having green walls living walls with climbing plants or cascading ground covers both in the interiors as well as the exteriors. NrDMC should also adopt other methods by which plants/ green cover can be integrated in the proposed built-up micro environment created by these structures by placing potted plants, flowering plants in the interior/ exterior and planting climbers and hanging plants along the pillars.

ii. The design including the colour scheme of the multilevel parking to ensure blending with the surroundings in view of the heritage value of the area.

iii. The multilevel parking to be developed as per the norms available for existing/ earmarked parking sites.

[F.No. K-13011/17/2016-.DD.I]

BHUPENDRA BAHUGUNA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.16 15:14:36 +05'30'